

क्रमांक एफ 1 (A) II(207) स्था./राईस/साक्षात्कार/2016 5726

जयपुर, दिनांक 2/9/2016

आवासीय विद्यालयों में साक्षात्कार (Walk In Interview) का विज्ञापन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित निम्न राजकीय आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों को शिक्षा विभाग में कार्यरत, प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापकों (2nd ग्रेड) एवं अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेत्रीय अध्यापक), पुस्तकालयध्यक्ष-III, शारीरिक शिक्षक-II, प्रयोगशाला सहायक साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हैं:-

दिनांक	पदों का नाम जिनका साक्षात्कार लिया जाना है	क्र.स.	बालिका आवासीय विद्यालय का नाम	क्र.स.	बालक आवासीय विद्यालय का नाम	
14.09.2016	प्रधानाचार्य	1	खोडन (बांसवाडा)	1	मण्डोर (जोधपुर)	
		2	भैंसवाडा (जालौर)	2	बालेटा (अलवर)	
		3	हिण्डोली (बून्दी)	3	खेडाआसपुर (डूंगरपुर)	
	व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापकों (2 nd ग्रेड)/अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेत्रीय अध्यापक)/शारीरिक शिक्षक-II/पुस्तकालयध्यक्ष-III/प्रयोगशाला सहायक	1	खोडन (बांसवाडा)	1	मण्डोर (जोधपुर)	
		2	भैंसवाडा (जालौर)	2	केनपुरा (पाली)	
		3	आटून (भीलवाडा)	3	बगडी (दौसा)	
		4	हिंगी (कोटा)	4	खेडाआसपुर (डूंगरपुर)	
		5	हिण्डोली (बून्दी)	5	बालेटा (अलवर)	
	15.09.2016	प्रधानाचार्य	1	पावटा (नागौर)	1	सागवाडा (डूंगरपुर)
			2	वजीरपुरा (टोंक)	2	चाण्डपुरा (जालौर)
3			यूसुफपुरा (टोंक)	3	देवलेन (करौली)	
व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापकों (2 nd ग्रेड)/अध्यापक लेवल-2 (तृतीय क्षेत्रीय अध्यापक)/शारीरिक शिक्षक-II/पुस्तकालयध्यक्ष-III/प्रयोगशाला सहायक		1	पावटा (नागौर)	1	अटरू (बांरा)	
		2	छाण (सवाई माधोपुर)	2	हरियाली (जालौर)	
		3	वजीरपुरा (टोंक)	3	मण्डाना (कोटा)	
		4	तेलीखेडा, सुवाणा (भीलवाडा)	4	धनवाडा (झालावाड़)	
		5	यूसुफपुरा (टोंक)	5	सागवाडा (डूंगरपुर)	
		6		6	चाण्डपुरा (जालौर)	
		7		7	देवलेन (करौली)	

नोट:- आवेदनकर्ताओं के लिए निर्देश

1. प्रतिनियुक्ति के इच्छुक कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। आवेदन प्रारूप विभाग की वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> पर डाउनलोड किया जाकर साफ सुथरे अक्षरों में भर कर लावें।
2. शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत अभ्यर्थी प्रतिबंधित जिले में स्थित आवासीय विद्यालयों के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
3. बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला कार्मिक को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत विशेष वेतन भत्ता देय होगा।
5. साक्षात्कार हेतु रजिस्ट्रेशन का समय दिनांक 14.09.2016 एवं दिनांक 15.09.2016 को प्रातः 10.00 से 12.30 बजे तक ही रहेगा।
6. विषयवार रिक्त पदों की सूचना एवं अन्य दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in/misc/vac.post> rres sitm06 PDF पर देखी जा सकती है।
7. इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 14.09.2016 एवं दिनांक 15.09.2016 को 10.00 बजे साक्षात्कार (Walk In Interview) हेतु निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर के सभागार भवन में अपने साथ मूल दस्तावेज (मय स्वप्रमाणित प्रतियां), पासपोर्ट साईज की फोटो तथा वर्तमान प्रभारी अधिकारी से सेवा सत्यापन विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
8. प्रधानाचार्य के लिए प्रधानाचार्य की योग्यता रखने वाले ही आवेदन कर सकेंगे।
9. साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. विस्तृत जानकारी (Clarifications) हेतु फोन नं. 0141-2220169 एवं 2220278 मो. नं. 9636487590 पर प्रातः 9:30 से शायकाल 5:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

(रवि जैन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
एवं सचिव राईस

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदनकर्ताओं के लिए पात्रता/दिशा निर्देश

क्र.सं.	पद नाम	पात्रता
1	प्रधानाचार्य	राजकीय सी.सैकण्डरी स्कूल के प्राचार्य या समकक्ष पद।
2	व्याख्याता	सम्बन्धित विषय में स्नात्कोत्तर उपाधि तथा बी.एड.
3	वरि.अध्यापक ग्रेड-II	स्नातक उपाधि मय बी.एड
4	अध्यापक ले-2	STC अथवा बी.एड तथा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें अध्यापक लेवल-2 के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।
5	शारीरिक शिक्षक-II	राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कार्यरत जिन्हें द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक।
6	पुस्तकालय अध्यक्ष-III	पुस्तकालयाध्यक्ष की योग्यताधारक

दिशा निर्देश:-

1. आवेदक द्वारा विभाग के निर्धारित आवेदन प्रारूप को साफ सुथरे अक्षरों में भरा जाए।
2. केवल वे ही कार्मिक आवेदन करें जो वर्तमान में राज्य सेवा के शिक्षा विभाग में सेवारत हैं। कार्मिक केवल एक ही स्थान के लिए आवेदन करें, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जायेगा।
3. शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिबंधित जिलों में कार्यरत कार्मिक प्रतिबंधित जिलों में स्थित आवासीय विद्यालयों के लिए ही आवेदन करें, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जायेगा।
4. वेबसाईट पर बताए गए रिक्त पद अनुमानित हैं तथा उनमें कमी या वृद्धि संभावित है।
5. पद क्रमांक 1 व 2 के लिये उनके समक्ष ग्रेड के अधिकारी नहीं मिलने पर उनसे नीचे वाले ग्रेड अधिकारियों पर भी विचार किया जा सकता है, किन्तु उन्हें अपने मूल पद का उल्लेख अवश्य करना होगा।
6. विशेष योग्यताधारी कार्मिकों को अनुभव में छूट दिये जाने एवं अन्य समस्त अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सचिव राईस के पास सुरक्षित है।
7. कार्मिक अपनी योग्यता, अनुभव एवं किये गये विशिष्ट कार्यों से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करें तथा साक्षात्कार में बोर्ड के समक्ष लेकर उपस्थित हों।
8. प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत विशेष वेतन भत्ता देय होगा।
9. बालिका विद्यालयों में समस्त पद महिला कार्मिकों द्वारा भरे जावेंगे। महिला कार्मिक के उपलब्ध न होने की स्थिति में ही पुरुष कार्मिक के चयन पर विचार किया जावेगा।
10. चयन से पूर्व अथवा पश्चात् कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
11. प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। सेवायें संतोषप्रद पाये जाने पर प्रतिनियुक्ति नियमानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।
12. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है।
13. ऐसे कार्मिक जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है/विचाराधीन है या जिनके सेवा अभिलेख में विपरीत टिप्पणियां अंकित हैं, वे कार्मिक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
14. समस्त मामलों में किसी वाद के होते हुए अन्तिम निर्णय का अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पदेन सचिव, राईस को होगा।

राईस द्वारा संचालित 19 आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सम्भावित रिक्त पदों का विवरण

दिनांक 06.09.2016

क्र.सं.	आवासीय विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य	व्याख्याता																				वरिष्ठ अध्यापक					अध्यापक लेवल-2					शा.शि.	पु.अ.	प्र.स.	(36से38) योग	कुल योग (4,21,28,35,39)								
			अनि. अंग्रेजी	अनि. हिन्दी	हिन्दी साहित्य	इतिहास	चित्रकला	गृह विज्ञान	भूगोल	गणित	जीव विज्ञान	रसा. विज्ञान	भौ.वि.	राज. विज्ञान	अर्थ शास्त्र	लेखाशास्त्र	व्यवसाय प्रबन्ध	वित्तीय	(5से20) योग	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	सा.विज्ञान	हिन्दी	विज्ञान	(22से27) योग	हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	सा.विज्ञान	विज्ञान						(29से34) योग							
1	आट्टण (मीलवाडा)	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	7	1	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	3	5	16							
2	अटक (बास)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9								
3	बागडी (दौसा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17								
4	बालेटा (अलवर)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13									
5	भैसवाडा (जालौर)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	5	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10									
6	छाण (स. माधपुर)	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14									
7	वाण्डपुर (जालौर)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17									
8	देवलन (करोली)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6									
9	धनवाडा (झालावाड)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13										
10	हिण्डोली (बूंदी)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12									
11	हरियाली (जालौर)	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8									
12	रिनी (कोटा)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14									
13	केनपुरा (पाली)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18									
14	खेडाआमपुर (झुगरपुर)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5									
15	खोडन (बासवाडा)	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2										
16	मण्डाना (कोटा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14									
17	मण्डाना (जोधपुर)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5									
18	पावटा (नागौर)	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10									
19	सागवाडा (झुगरपुर)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4										
20	तेलीखेडा (मीलवाडा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7										
21	बजौरपुरा (टोक)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10										
22	यूसूपपुरा (टोक)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10										
	योग	12	10	10	5	4	5	5	7	7	5	10	11	5	10	11	9	14	3	0	1	2	0	0	96	7	15	2	2	0	0	3	29	6	7	2	9	5	3	32	18	18	51	87	256

नोट:- 1. रिक्त कॉलम वाले पद स्वीकृत नहीं है।

2. रिक्त पदों में कमी एवं वृद्धि की जा सकती है।

10/10

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान जयपुर

आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

रजि. क्रमांक बोर्ड संख्या कमरा संख्या

Recent
Photo paste
here

आवेदन पत्र

1. प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदित आवासीय विद्यालय का नाम
2. आवेदित पद मय विषय का नाम
3. कार्मिक का नाम
4. पिता का नाम
5. जन्म तिथि
6. गृह जिला
7. शैक्षणिक योग्यता
8. प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं स्थान
9. सम्बन्धित शिक्षा निदेशालय (Set up)
10. वर्तमान में धारित मूल पद
11. वर्तमान पदस्थापन स्थान
12. वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण दिनांक
13. कुल सेवा अवधि
14. आवासीय विद्यालय में अनुभव.....वर्ष, अवधि दिनांक.....सेतक
15. आवासीय विद्यालय में पूर्व में पदस्थापन स्थान का नाम.....
16. आवेदक का वर्तमान पता
17. संबंधित विषय का गत तीन वर्षों के परीक्षा परिणाम 1.....2.....3.....
18. मोबाईल नं. (1) (2)
19. आवेदित स्थान के अतिरिक्त अन्य इच्छित आवासीय विद्यालयों में पदस्थापन हेतु निम्नानुसार विकल्प देता/देती हूँ:-
(i) विद्यालय का नाम पद मय विषय.....
(ii) विद्यालय का नाम पद मय विषय.....
20. आवश्यक दस्तावेज संलग्न।

घोषणा पत्र

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचना/जानकारी सही है एवं आवेदन पत्र के लिए प्रतिनियुक्ति हेतु मेरा चयन किए जाने की स्थिति में, मैं न्यूनतम दो वर्ष से पूर्व अपनी प्रतिनियुक्ति समाप्त कराने हेतु अनुरोध नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक :-

प्रार्थी

हस्ताक्षर